



1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ श्रीगंगानगर में पंखीलाल मीणा राजस्व पटवारी, तहसील श्रीकरणपुर 95,000/- रुपये रिश्वत लेते किया रंगे हाथो गिरफ्तार।

जयपुर दिनांक 20.08.25 बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी श्रीगंगानगर-प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये पंखीलाल मीणा राजस्व पटवारी हल्का 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर को परिवारी से उसके स्वयं एवं पत्नी के नाम की कृषि भूमि पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 में मूंग की फसल के करवाये गये फसल बीमा का फसल खराब होने पर प्राप्त क्लेम राशि करीब 2.28 लाख रुपये का करीबन 40 प्रतिशत राशि 95000/-रुपये बतौर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी श्रीगंगानगर-प्रथम को परिवारी की एक शिकायत इस आशय की मिली कि उसके स्वयं एवं पत्नी के नाम की कृषि भूमि पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 में मूंग की फसल के करवाये गये फसल बीमा का फसल खराब होने पर दोनो के खातो में क्लेम राशि कुल करीब 2.28 लाख रुपये जमा हुये है। उक्त फसल खराबे की कॉप कटिंग हल्का पटवारी श्री पंखीलाल मीणा ने की थी, उसको उक्त क्लेम राशि खाते में जमा होने की जानकारी मिलने पर परिवारी को यह कहना कि यह बीमा क्लेम मेरे द्वारा मदद करने पर मिला है, इसलिये मुझे आपके खाता में जमा क्लेम की राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा खर्चे पानी के दो कहकर परेशान किया जा रहा था।

जिस पर बीकानेर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री भवन भूषण यादव के सुपरविजन में एसीबी श्रीगंगानगर के अति. पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार मीणा भ्रनिब्यूरो, श्रीगंगानगर के नेतृत्व में आज उप अधीक्षक पुलिस श्री भुपेन्द्र कुमार सोनी मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी को परिवारी से प्राप्त फसल बीमा क्लेम की राशि 2.28 लाख रुपये में से 95000/- रुपये बतौर रिश्वत रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

एसीबी के श्री भवन भूषण यादव उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो बीकानेर के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।